न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

प्रकरण संख्या 82

सरदार सिंह गुर्जर पुत्र श्री किशन लाल गुर्जर उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत कोलाना तहसील बसवा जिला दौसा।

बनाम

राजस्थान सरकार

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,जयपुर के प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12224/2025 सरदार सिंह गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 14.08.2025 की अनुपालना में।

आदेश

1. संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,जयपुर के प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12224/2025 सरदार सिंह गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 14.08.2025 मे पीटीसनर (प्रार्थी) श्री सरदार सिंह गुर्जर पुत्र श्री किशन लाल गुर्जर उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत कोलाना तहसील बसवा जिला दौसा का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर स्पीकिंग आदेश जारी करने हेतु लिखा गया है।
2. पिटीशनर (प्रार्थी) ने अपने अभ्यावेदन मे अवगत करवाया कि दिनांक 11.07.2025 को जिला कलक्टर रसद दौसा द्वारा जिले की विभिन्न तहसीलों मे रिक्त/नवसृजित दुकानों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमे ग्राम पंचायत कोलाना पोस कोड 25770 के लिए भी आवेदन आमंत्रित किये गये। पूर्व मे ग्राम पंचायत कोलाना मे 8 राजस्व ग्राम क्रमशः कोलाना, धपावन, पीपडी का बास, बिशनपुरा, नारायणपुरा, बाडविशनपुरा, थाडा का बास एवं बाग की ढाणी सम्मिलित थे। याची द्वारा राजस्व ग्राम कोलाना के 1/2 उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है एवं राजस्व ग्राम कोलाना के 1/2 भाग व राजस्व ग्राम बिशनपुरा के उपभोक्ताओं को डीलर वन्दना मीना पुत्र स्व0 श्री छगनलाल मीना द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जाता है। ग्राम पंचायत कोलाना के 1/3 भाग के डीलर जीएसएस कोलाना (पोस कोड 25770) द्वारा नारायणपुरा, बाडविशनपुरा, थाडा का बास एवं बाग की ढाणी के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण किया जाता था। ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन के कारण नवीन ग्राम पंचायत नारायणपुरा बन गई जिसमे नारायणपुरा, बाडविशनपुरा एवं बाग की ढाणी ग्राम सम्मिलित हो गये। जिसके कारण पुर्नगठन के पश्चात ग्राम पंचायत कोलाना मे लगभग 955 पात्र राशनकार्ड रह गये है जिनको खाद्यान्न वितरण हेतु 2 डीलर पूर्व मे ही कार्यरत है। बाबजूद इसके जिला कलक्टर रसद दौसा द्वारा ग्राम पंचायत कोलाना से फीडबैक लिये बिना एवं याची को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही आवंटित क्षेत्र मे कटोती की जा रही है तथा बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाऐ रिक्तिओं का निर्धारण किया जाकर ग्राम पंचायत कोलाना मे रिक्त दुकान के मेरे विज्ञप्ति जारी की जाकर नई नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है जो कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 07.10.2010 एंव जस्टिस वाधवा कमेटी की सिफारिशों के विपरीत है। अतः याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार कर ग्राम पंचायत कोलाना मे जारी विज्ञप्ति को निरस्त फरमाया जावे।
3. उक्त संबंध मे जिला रसद अधिकारी दौसा के द्वारा अपने जबाव मे अवगत कराया कि श्रीमान उपायुक्त एवं उप शासन सचिव खाद्य विभाग के पत्रांक एफ 17(1) खा0वि0/न्याय/2025/लूज दिनांक 23.04.2025 की अनुपालना मे ही ग्राम पंचायत कोलाना मे पूर्व मे 3 उचित मूल्य दुकानदार 1.जीएसएस कोलाना–202कार्ड/853यूनिट 2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:23:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सरदार गुर्जर –628कार्ड/2637यूनिट 3.छगनलाल–320 कार्ड/1319 यूनिट मे से 1. जीएसएस कोलाना– 202कार्ड/853 यूनिट के अकार्यरत होने के कारण दिनांक 11.07.2025 को विज्ञप्ति जारी की गई। विभागीय परिपत्र 07.04.2010 के अनुसार उचित मूल्य दुकानों के नये सर्वे के अनुसार 500 राशनकार्ड पर नवीन दुकानों का सृजन कर रिक्त दुकानों की विज्ञप्ति जारी करने का प्रावधान था चूंकि उक्त विज्ञप्ति नवीन दुकान हेतु नही निकाली गई है अपितु किसी डीलर के अकार्यरत होने के कारण रिक्त होने की स्थिति मे रिक्तता को भरने हेतु दुकान निकाली गई है। उक्त विज्ञप्ति नवसृजित की नही जारी की जाकर रिक्त दुकान की जारी की गई है।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12224/2025 सरदार सिंह गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 14.08.2025 की अनुपालना मे पिटीशनर सरदार सिंह गुर्जर पुत्र श्री किशन लाल गुर्जर एवं सरकार की ओर से जिला रसद अधिकारी को सुना गया एवं उक्त संबंध मे जिला रसद अधिकारी को पत्र जारी करने संबंधित के द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया। पूर्व मे ग्राम पंचायत कोलाना मे 8 राजस्व ग्राम क्रमशः कोलाना, धपावन, पीपडी का बास, विशनपुरा, नारायणपुरा, बाडविशनपुरा, थाडा का बास एवं बाग की ढाणी सम्मिलित थे। ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन के कारण नवीन ग्राम पंचायत नारायणपुरा बन गई जिसमे नारायणपुरा, बाडविशनपुरा एवं बाग की ढाणी ग्राम सम्मिलित हो गये। ग्राम पंचायत कोलाना मे ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन से पूर्व 3 उचित मूल्य दुकानदार 1.जीएसएस कोलाना 2.सरदार गुर्जर 3.छगनलाल को राशन वितरण हेतु लाईसेंस जारी किये हुए थे जिनमे से जीएसएस कोलाना अकार्यरत होने के कारण उक्त विज्ञप्ति को जारी किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ17(9) खा.वि0/न्याय/2012/पार्ट–II दिनांक 27.03.2023 के अनुसार जिस उचित मूल्य दुकान पर 100 या 100 से कम राशन कार्ड है उनका यथा संभव निकट की उचित मूल्य दुकान मे समावेशन/मर्जर किया जाए। कार्यालय जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा जारी विज्ञप्ति वाली उचित मूल्य दुकान जीएसएस कोलाना मे 202 कार्ड/853 यूनिट है। इसलिए कार्यालय जिला रसद अधिकारी दौसा से जारी की गई विज्ञप्ति दिनांक 1107.2025 (विज्ञप्ति जो कि नई दुकान की नहीं है अपितु पूर्व में ही रिक्त दुकार की विज्ञप्ति है) को यथावत रखते हुए परिवादी का अभ्यावेदन खारिज कर आदेश दिया जाता है कि कोलाना मे रिक्त स्थान पर विज्ञप्ति अनुसार आगामी कार्यवाही की जावे।

5. पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। आदेश की प्रति श्री लोकेन्द सिंह राव, डिप्टी गर्वमेन्ट काउसिंल (खाद्य) जयपुर को भिजवायी जावे।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा

आदेश आज दिनांक 24 सितम्बर 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्राकित से जारी किया गया। इस ... अपील नियत समयावधि के अंदर समक्ष न्यायालय मे की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:23:29 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा